झारखण्ड सरकार
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की शुरुआत "महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार" द्वारा आरम्भ किया गया। इस योजना का उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया था। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का उद्धेश्य समाज में बेटियों के जन्म पर पायी जानेवाली नकारात्मक सोच, कन्या-भ्रूण हत्या, बाल-विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियाँ, बालिकाओं की लिंगानुपात में कमी, बालिकाओं की शिक्षा की कमजोर स्थिति को दूर करने के लिए संपूर्ण झारखण्ड राज्य में सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी। जिसका उद्देश्य निम्नलिखित हैं :-

सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का उद्देश्य:-

(क) महिला सशक्तिकरण	(ख) बालिका शिक्षा पर जोर	(ग) बाल विवाह प्रथा का अन्त
(घ) उच्चतर कक्षाओं की बालिकाओं के शैक्षणिक व्यय में सहयोग कर उनके विद्यालय परित्याग की प्रवृत्ति को काम कराना एवं उन्हें उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करना।		
(ड़) किशोरियों के स्वास्थ एवं वैयक्तिक स्वच्छता हेतु सहायता।		
(च) किशोरियों की अपने जीवन के संबंध में स्वतंत्र निर्णय लेने हेतु सक्षम बनाना।		

इस योजना के तहत बालिका / युवती को निम्न प्रकार की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी:-

क्र०	लाभुक वर्ग	आर्थिक लाभ की राशि
i	कक्षा 8 में नामांकित बालिका	रु० 2,500/-
ii	कक्षा 9 में नामांकित बालिका	रु० 2,500/-
iii	कक्षा 10 में नामांकित बालिका	रु० 5,000/-
iv	कक्षा 11 में नामांकित बालिका	रु० 5,000/-
v	कक्षा 12 में नामांकित बालिका	रु० 5,000/-
vi	18-19 वर्ष की आयु की बालिका को एक मुश्त अनुदान	रु० 20,000/-

Click the below link to visit website:

सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना / Savitribai Phule Kishori Samriddhi Yojna